ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

भारतीय नारी समाज और मुस्लिम महिलाएं

तरन्नुम यूसुफ
प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज,
कानपुर

सारांश

नारी का स्थान समाज में पुरातन काल से विवादास्पद रहा है। एक ओर नारी को शक्ति मातृत्व तथा त्याग की मूर्ति समझा जाता है तो दूसरी ओर उसे तिरस्कार पूर्वक भोग–विलास का माध्यम बनाया गया है। पर हर रीति और काल में महिला की सहभागिता क्रियाशील जगत में रही है। आज की आर्थिक समस्याओं, मानसिक पीड़ा तथा विषमता से छुटकारे के लिए नारी की भूमिका विशेष रूप से स्वीकारी की गई। मानवीय सभ्यता में सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयॉ समाज में कलंक और पहेलियों के रूप में अभी भी मौजूद हैं यदि इतिहास में झांका जाए तो इन महिलाओं की समस्याएं सब ही थी और नारी को समाज में एक कमजोर लिंग के रूप में माना जाता था। जिसकी सुरक्षा और आर्थिक जरूरतें मुख्य रूप से पुरूष अधीन समाज में नर की कृपा पर निर्भर थी। भारत में नारी के बारे में यह माना जाता है कि उसको अपने नौसर्गिक गुणों या इच्छाओं को व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। यह केवल धर्म–पत्नी बनकर अपना कर्तव्य–निर्वाह कर सकती है। वास्तव में नारी को एक पुर्जे के रूप में देखा जाता था, यह ऐसा पुर्जा या कि नर जब चाहे अपने सुखों की प्राप्ति के लिए अपने से जोड़े रखें और जब चाहे उसको अपने से अलग गर दें। भारतीय मुस्लिम संस्कृति में पत्नी को उसके पति के हाथों सौंपकर उसको अत्यधिक दासत्व का आभूषण पहना दिया जो कि उसकी त्रुटि है और पत्नी को उसके पति के हाथों में सौपकर अधीन रखने पर मजबूर कर देती है वर्तमान समय तक मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ विचारणीय स्तर तक परिवर्तित हुई लेकिन उसकी दशा में यह परिवर्तन संतोषजनक रही है। क्योकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बआद से अब तक पॉच दशकों में हमारे देश में उन रूढ़िवादी पुरूषों ने यह देख लिया कि महिलाऍ कितनी कर्मठ और धैर्यवान होती है उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए पुरूषों को विवश होकर ही सही उन्हें स्वतन्त्रता और अधिकार देने पड़े हैं।

''कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नर सा
कुछ फजां कुछ हसरतें परवाज की बातें कर''

मुख्य शब्द : भारतीय नारी, समाज और महिलाओं की स्थिति, इस्लाम और मुस्लिम नारी।

प्रस्तावना

नारी की स्थिति युग के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। प्रायः अधिकांश समाजों में प्राचीन काल में पत्नी और नारी की स्थिति बहुत शोचनीय थी, किन्तु वैदिक कालीन शिक्षा साहित्य के अध्ययन से पता चलता कि हिन्दू परिवार के सबसे पुराने काल वैदिक युक में उसकी दशा अत्यन्त उन्नत थी। हिन्दू समाज में स्त्रियों का आदर और सम्मान प्राचीन काल से आदर्शात्मक और मर्यादा युक्त रहा है उनके प्रति समाज की स्वभाविक निष्ठा और श्रद्धा रही है, प्राचीनकाल में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार था।

भारतीय नारियॉ, सामाजिक ऐतिहासिक एवं राजनैतिक पदों से होकर गुजरी है। मनु के कथानुसार पुरूष नारी और स्वदेह तथा सन्तान ये तीनों मिलकर ही पुरूष पूर्ण होता है इसलिए स्त्री पुरूष की अर्द्धांगिनी मानी गई है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ–साथ स्त्रियों की स्थिति में भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैवं। प्रो0 इन्द्र ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट लिखा है कि ''कुंवारी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान किये जाते है। नीरा देसाई ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट करते हुए लिखा है कि ''शिक्षा के विषय में पुत्री का पुत्र से भेद नहीं किया जाता था, प्राचीन काल में स्त्री को अर्द्धांगिनी समझने के कारण उसके बिना यज्ञादि कार्य सम्पन्न नहीं किये जा सकते थे। ऋग्वेद में भी अनेक स्थलों पर पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से यज्ञ करने का उल्लेख है। इसके पूर्व

प्रारम्भिग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने कहा है कि उसके पूर्व महिलाओं की स्थिति सामूहिक उपभोग के रूप में थी। एक पति एवं पत्नी के विचार की स्वीकृति सभ्य समाज की देन है। मानव मूल रू‍प से समूह में रहा करता था, जहॉ व्यक्तिगत विवाह नहीं था। तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति की और संकेत किया गया है। वे केवल दुख–सुख में ही जीवन संगिनी नहीं होती थीं, बल्कि गृहस्वामिनी भी होती थी। इस युग में जो स्त्री–पुरूष शिक्षित होते थे, वहीं विवाह योग्य समझे जाते थे, ऐसी भी स्त्रियॉ थीं जो जीवन पर्यन्त विधा अध्ययन में लगी रहती थीं ब्रह्मवादिनी कही जाती थी।

ब्रह्मचर्य व्रत सम्पन्न कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करने का अधिकार था। ऋग्वेद के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसकी अनेक सहिताओं की रचना महिला कवियित्रियों द्वारा दी गई है, अनेक स्त्रियॉ दार्शनिक विषयों एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी। अनेक स्त्रियों में गार्गी का नाम अति प्रसिद्ध है। इस काल में हमें राजनीति एवं युद्ध–विधा में निपुण स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्री–शिक्षा अपने चरम–उत्कर्ष पर थी। तथा नारी सर्व–शक्ति सम्पन्न मानी तथा विद्या, यश और सम्पत्ति की प्रतीक समझी गयी स्त्री शिक्षा का उक्त प्राचीन काल से लेकर 200 ई0 पूर्ण तक अबोध गति से चलता रहा है। इसके उपरान्त जैसे'–जैसे समाज में स्त्रियों का महत्व कम होता चला गया, वैसे–वैसे क्रमशः स्त्री शिक्षा का पतन होता गया।

उत्तर वैदिक काल से ही नारी की दिशा अवनति की ओर अग्रसर हाने लगी, उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्यभाव व पतित कहा गया हिन्दू धर्म–शास्त्र पत्नी के कर्तव्यों और दायित्वों के सन्दर्भ में भरे पड़े हैं। पति के प्रति उसकी पूर्व निष्ठा सेवा व आज्ञाकारिता की उपेक्षा की जाती थी। इन पर अनेक प्रकार से सामाजिक व धार्मिक नियन्त्रण लगा दिये गये जो आगे चलकर और विस्तृत हो गये। धर्म सूत्रों और स्मृतियों के युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतोन्मुखी हो गई एक आदर्श हिनदू नारी अर्थात् वह पत्नी जो केवल अपने पति में आस्था रखती हो तथा जो पति की सेवा को ही अपने जीवन का परम–कर्तव्य व ध्येय मानती हो, ऐसी नारी का वर्णन करते हुए कपाड़िया ने लिखा है–''जिस प्रकार नदी सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को खो देती है उसी प्रकार पत्नी से भी अपने आप को पति के व्यक्तित्व में मिला देने की आशा की जाती थी। उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य यह होता था कि वह पति की सेवा में कोई कसर न रखें और उसको सन्तुष्ट रखना ही अपने जीवन का एकमात्र खुशी माने'' परम्परागत भारतीय नारी का वर्णन करते हुए राधाकृष्णन ने लिखा है– शताब्दियों से चली आ रही परम्पराओं ने भारतीय नारी को विश्व की सर्वाधिक निःस्वार्थी सर्वाधिक धैर्यवान नारी बना दिया है, कष्ट उठाना ही जिसका आत्मगौरव है''। इसी प्रकार हिन्दू नारी की भूमिका पर विचार करते हुए श्रीनिवास लिखते हैं कि–''हिन्दुओं के सभी धार्मिक एवं व्यवहारिक ग्रन्थों में पति की अपेक्षा पत्नी के आचरण व भूमिका के सम्बन्धमें कहीं अधिक निर्देश मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि पति की तुलना में पत्नी की भूमिका अधिक सुनिश्चित एवं निर्दिष्ट थी। इस प्रकार पति की की अपेक्षा ज्यादातर पत्नी को ही अपने लिए निर्धारित एवं बंधे ढॉचे का अनुसरण करना पड़ता था। बौद्ध युग में भी शिक्षित स्त्रियॉ थीं जिन्हें उपाध्याय कहा जाता था। अनेक महिलाऍ अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थीं जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह एवं लगन से करती थी। ऐसी स्त्रियॉ उपाध्याया कही जाती थी।

मध्यकालीन युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की दशा और भी खराब हो गई। यद्यपि इस्लाम स्त्री शिक्षा निषेध नहीं करता है किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा–प्रथा का विशेष महत्व होने के कारण मुस्लिम काल में स्त्री–शिक्षा का क्षेत्र अति सीमित था। प्रारम्भ में तो बालिकाओं को बालक के समान विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता था, किन्तु एक निशिचित आयु के बाद उन्हें घर की चहारदीवारी में बन्द हो जाना पड़ता था। इससे पर्दा–प्रथा को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा का निषेध न होने के कारण अमीर परिवारों की बालिकाओं को घर में ही विद्या अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। राज–परिवारों की बालिकाएं बड़ी होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी। '' तबकात–ए–नासिरी'' के लेखक मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि–रजिया सुल्तान न केवल उच्च शिक्षा में बल्कि युद्ध काल में प्रवीण थी।'' इस सम्बन्ध में डा0 युसुफ हुसैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि–''मध्यम वर्ग के परिवारों की विधवा स्त्रियॉ अपने घरों में अपने पास–पड़ोस के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के लाभार्थ व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देती थी।'' जैसा कि भारतीय परम्परा में नारी के इतने रूप बताए हैं पर क्या पुरूष में नारी के रूपों का सम्मान करके उसको शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था की है। स्त्रियों को सदैव असहायता और दूसरों पर निर्भरता की शिक्षा दी गई'' यह शिक्षा देकर ही पुरूष युगों से नारी पर शासन करता आ रहा है उसने सहस्त्रों वर्षों से नारी को उसे ज्ञान के आलोक से बाहर घसीट कर अज्ञानता से आवृत्त रखने में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझी है। तभी से नारी विवशता की जंजीर में जकड़ी हुई है। अपनी शिक्षा की बाट जोह रही है। वस्तुतः उस युग में परिवार ही स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त होती थी। इन तथ्यों के आधार पर ''एल मुकर्जी ने प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया पृ0 सं0–259 में यह मत प्रकट किया है''यह सम्भव हैकि इस युग में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। किन्तु इस विषय में हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।''

वैदिक काल के अन्तिम चरण के लगभग 200 ई0पू0 से बालिकाओं के विवाह की आयु को कम करके, उसकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर दिया गया। परन्तु महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नव–जीवन प्रदान किया।

एस0 अल्तेकर के अनुसार ''स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री–शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन

प्रदान किया'' किन्तु यह आज्ञा केवल उन्ही की शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त न कि बहुसंख्यक स्त्रियों की शिक्षा को।

1. एल–मुकर्जी प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया पृष्ठ–संख्या 259,
2. ए0 एस0 अल्तककर– एजुकेशन इन एनसिएण्ड इण्डिया–पृष्ठ–संख्या 233

मुस्लिम युग में पर्दा–प्रथा एवं बाल–विवाह का प्रचलन था। अतः छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त शेष सेब स्त्रियों का विशाल समूह शिक्षा प्राप्ति के लाभ से वंचित रहा। इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम–काल में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई जहॉ तक अल्प–आयु की बालिकाओं का प्रश्न था। वे सीक्वल कुछ ही वर्षों की प्राथमिक शिक्षा (एडवान्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 259) से लाभान्वित होती थी। इस सन्दर्भ में मजुमदार राय चौधरी व दत्ता ने लिखा है। ''प्रायः प्रत्येक मस्जिद से संलग्न मकतब होता था। जिसमें आस–पास के बालक और बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे। शाही घराने और धनी लड़कियॉ अपनें घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं और हम यह मान सकते हैं कि मध्यम वर्ग की लड़कियॉ स्कूलों में लड़कों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती थी और उनमें से कुछ को धार्मिक साहित्य का ज्ञान था'' शाही घरानों की अनेक विदुषी नारियों के नाम आज भी इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं।''

यद्यपि इस्लाम स्त्री शिक्षा का निषेध नहीं करती किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा–प्रथा का विशेष महत्व होने के कारण मुस्लिम काल में स्त्री–शिक्षा का विशेष महत्व होने कके कारण स्त्री–शिक्षा का क्षेत्र सीमित था। भारतीय मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में पर्दा–प्रथा प्रचलित हाने के कारण स्त्रियों की शिक्षा का पूर्ण–रूपेण विकास नहीं हो सका। इस प्रकार रूसों ने स्त्री–पुरूषों को एक जैसा नहीं माना है। वह स्त्री को पुरूष का पूरक मानता है, और उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं मानता।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया सम्भवतः इसका कारण यह है कि उसे अपने प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी, इसके अतिरिक्त स्त्री–शिक्षा के प्रति भारतियों का दृष्टिकोंण अत्यधिक रूढ़िवादी था। सन् 1938 में विलियम एडम ने स्त्री–शिक्षा का वर्णन करते हुए लिखा है कि ''शिक्षा की समस्त स्थापित होती समस्यायें केवल पुरूषों के लाभार्थ के लिए है और समस्त महिला जगत की विधि पूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है''

सन् 1882 के ''हण्टर कमीशन'' ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा से दूषित होकर जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की– ''स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है, और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है'' ब्रह्म समाज, आर्य समाज सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी जैसी अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री–शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया।

स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों से वह बधी हुई थी। वे शनैः–शनैः ढीले होते जा रहे हैं। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था। वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है ''भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है–''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म प्रजाति, जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा'' स्वतन्त्र भारत नारी जागरण का युग बन गया है। आजकल स्त्रियों के शिक्षित होने से उनमें आर्थिक स्वालम्बन की क्षमता बढ़ गई है। अतः अपने निर्वाह के लिए उन्हें पति पर निर्भर रहने अथवा विवाह करने की पहले जैसी अनिवार्य आवश्यकता नहीं रही। पहले स्त्रियॉ–आर्थिक अवलम्बन प्राप्त करने के लिए विवाह करती थीं, अब इसके साथ–साथ प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दाम्पत्य जीवन अगींकार करती है। मध्यकाल में पति देवता और पत्नी दासी मानी जाती थी तथा शूद्रो के समकक्ष मानी गई। 19वीं सदी के मध्य में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और ईसाई मिशनरियों द्वारा स्त्रियों में शिक्षा प्रसार के आन्दोलन में स्त्रियों के उत्थान का कार्य आरम्भ हुआ इसके अतिरिक्त बाल–विवाह जनता की रूढ़िवादिता आदि स्त्री के विकास में अवरोघ सिद्ध हुए।

भारतीय समाज का ढॉचा परम्परागत और कतिपय सुव्यवस्थित सामाजिक आदर्शों पर आधारित था। अतः कार्यशील महिलाओं की समस्या व केवल पृष्ठभूमि में रही वरन् दबी रही। कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हुए है। यह अध्ययन वास्तव में कई दृष्टिकोंण से किये गए हैं। कुछ अध्ययन बदलते हुए आर्थिक दृष्टिकोंण के कारण महिलाओं को श्रम–बाजार में आने पर किये गए है। तथा कुछ अध्ययन महिलाओं के कार्य करने की प्रेरणाओं से भी सम्बन्धित है। आज महिलाओं की स्थिति में तीव्रता से परिवर्तन हुआ है तथा महिलाएं समझ गई लम्बे संघर्ष के बाद ही अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

डॉ0 ए0एस0 अल्टेकर द्वारा किया गया अध्ययन ''पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन'' पर हुआ है। डॉ0 अल्टेकर ने भारतीय स्त्रियों का प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक की स्थिति का अध्ययन किया है वह अनेक ऐसी समस्याओं की ओर संकेत दिया है। जिसका सन्तुष्टिजनक हल प्राप्त किया जा सके उन्होनें अपने अध्ययन में जिन मुद्दों पर मुख्य रू‍प से विशेष ध्यान दिया है वे हैं–भारतीय नारी के बचपन व शिक्षा की समस्याएं स्त्रियों की विवाहित जीवन की अने विषम समस्याओं समाज में विधवाओं की स्थिति, धार्मिक स्थिति स्त्रियों, धार्मिक स्थिति स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, भारतीय स्त्री का समाज में क्या स्थान है। आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है तथा इसके सम्बनध में उचित सुझाव भी प्रस्तुत किये है। श्री माधवनन्द स्वामी ने ''ग्रेट वीमन इन इण्डिया'' तथा श्री आर0 सी मजूमदार ने स्त्रियों की स्थिति का प्राचीन काल से आधुनिक समय तक का अध्ययन किया है। और ये सब वैदिक समय से वर्तमान समय तक के ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देते है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारकों ने भी विशेष प्रयत्न किये और उनकी श्रेष्ठता के लिए क्रान्ति को आवश्यक बताया। विदेशी विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में अपने अनुभव और विचारों

को प्रस्तुत किया है। अमरीका में विवाहित महिलाओं के नौकरी करने की समस्या ने समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। कोलम्बिया विश्व विद्यालय में ''नारी शक्ति'' पर आयोजित एक सम्मेलन में ''वर्क इन द लाईव्स ऑफ मैरिड वुमन'' विषय पर बोलते हुए फेल्डमेन ने कहा कि ये अपेक्षतया एक नवीन घटना का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यम वर्ग की कामकाजी पत्नी अब एक सक्षम आर्थिक, मनोवैज्ञानिक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है, उसकी नवीनता उसकी संख्या और परिवार व समाज पर जिसकी वह अंश है–उसके गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक प्रभाव अब निरीक्षण का तकाजा रखते हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट में यह खुलास हुआ है कि अमेरिका जैसे देश में भी कार्य–स्थलों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यही नहीं, रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया कि 70 से 90 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं न तो नियोक्ता से शिकायत करती है और न हीं खुले में इस पर चर्चा करती है भले ही महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक और पेशेवर रूप से ताकतवर हुई है, पर पुरूष–सत्तात्मक समाज में उनको दोयम दर्जा देने की मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है। कमोवेष दुनिया भर में महिलाएं यह मानकर चलती है कि पुरूषों का अमर्यादित व्यवहार कार्य–स्थल का एक सच है। शायद इसीलिए कार्यस्थलों पर महिलाओं के शोषण के विरूद्ध व्यावहारिक रू‍प से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं उच्च शिक्षा ने महिलाओं को कार्य–व्यवस्था का हिस्सा बनाए जाने से पूर्व ही अप्रत्यक्ष रूप से यह बता दिया जाता है कि स्वावलम्बन का रास्ता उनके लिए आसान नहीं है। पुरूष–वर्ग अनुचित व्यवहार करते है और अगर नहीं है। पुरूष–वर्ग अनुचित व्यवहार करते है और अगर उसे आसपास के लोग जानते भी है, तब भी उनके विरूद्ध कुछ भी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग इस कुछ गलत मानने को तैयार नहीं होते है। स्त्री को सदैव गलत साबित करने की मानसिकता ही कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकतर अध्ययन यही बताते है कि महिलाएं रोजगार खोने के डर से अपने विरूद्ध हो रहे शोषण की शिकायत नहीं करती, जहॉ बेरोजगारी ज्यादा हो, कामकाजी महिलाओं की मजबूरी को समझा भी जा सकता है। संकुचित सोच और स्त्री को महज देने समझने की मानसिकता के बीच महिलाएं कार्य–स्थल पर तो संघर्ष कर रही है, परिवार भी शिकायत करने की स्थिति में महिला पर ही प्रश्न–चिन्ह लगाता दिखाई देता है। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों? जैसे प्रश्न से बचने का सहज मार्ग चुप रहना ही समझा जाता है। पर क्या यह उचित है। शोषण का कोई भी रू‍प आत्मविश्वास को तोड़ता है और अन्त में यह अवसाद को जन्म देता है। शोषण की शुरूआत में ही प्रतिकार, शोषण–कर्ता का साहस तोड़ता है और खामोशी शोषण के स्वरू‍प को घातक बना देती है।

डॉ0 प्रमिला कपूर ने कामकाजी महिलाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और एक विस्तार पूर्ण अध्ययन किया जो कि कार्यकारी महिलाओं के वैवाहिक सामन्जस्य पर था। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि ''शहरों की जो शिक्षित विवाहित महिलाएं रोजगार पाने के लिए आगे बढ़ रही है, उसके लिए उन्हें न केवल आर्थिक सन्तोष प्रेरित करता है, बल्कि कई दूसरी सामाजिक प्रेरणाएं प्रेरित करती है। यह अध्ययन यह बताता है कि कार्यकारी महिलाओं को पति और पत्नी के रोजगार तथा रोजगार के कारण उसकी दोहरी भूमिका व उसके परिस्थिति बस बदलते हुए व्यवहार के कारण पति में मानसिक विसंगतियॉ उत्पन्न होती है ''मुस्लिम धर्म में महिलाओं का सम्मान अन्य धर्मो की महिलाओं कही ज्यादा किया जाता है। यह उनके धार्मिक अन्य ''कुरान और हदीस'' से स्पष्ट ज्ञात होता है। महरउद्दीन खॉ के अनुसार कि जब दूसरे धर्मों में महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। स्त्री अपमान की सूचक थी, इस दौर में इस्लाम स्त्री–मुक्ति का सन्देश लेकर आया, कुरान में कहा गया है कि स्त्रियों पर अत्याचार न किया जाए, ''विश्वासियों यह न्याय नहीं कि तुम बल पूर्वक स्त्रियों को दाय भाग में लो, जब तक उनका दुराचार स्पष्ट हो जाए तब तक अपना दिया लेने के लिये उसे बन्द रखो। मुस्लिम धर्म में स्त्री को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अत्याचार अथवा दुख पहुॅचाना बुरा माना गया है। अन्याय माना गया है कुरान स्त्री पर दया करना सिखाता है, यह स्पष्ट कहा गया है कि ''औरत'' को पूरी ईमानदारी से इज्जत दो उसका आदर और सम्मान करो अनेक लोग स्त्री को पॉव की जूती समझते है गृहस्थी में इस प्रकार की धारणा से न तो पति सुखी रह सकता है और न पत्नी ही,।

''हकीम सैय्यद महमूद अहमद सहारनपुरी'' औरत के सम्बन्ध में कहते है कि इस्लाम की निगाह में चूंकि औरत समाज का आधार है इसलिए हमारे दीन में औरत को इज्जत का वह स्थान मिला है जो इस्लामी व्यवस्था के अतिरिक्त कहीं भी नजर नहीं आता''

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को बहुत आदर–सम्मान तथा अधिकार मिला है परन्तु? क्या इस सन्दर्भ में हमारा भारतीय मुस्लिम समाज उन्हें वह अधिकार स्थान तथा आदर दे पाया है जो कि उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि यह समाज पुरूष–प्रधान समाज है यह महिलाओं को कभी अपने बाराबर खड़ा करने की सोच भी नहीं सकता वह महिलाओं को निचले–स्तर पर रखना चाहता है, जबकि ''कुरान'' यह कहता है कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए लेकिन वह बहुत जरूरी कामों के लिए बाहर जा सकती है। 21वीं सदी में इन महिलाओं को अपनी उपलब्धि परिवार की खुशहाली और बच्चों को उच्च–शिक्षा देने के लिए कामकाजी महिला बनने की आवश्यकता है, पर्दा वहीं तक अच्छा लगना चाहिए जहॉ परिवार अथवा स्त्री के लिए सुरक्षा का कार्य करे और यदि वह महिलाओं को जमाने से पीछे छोड़ती है तो एक मॉ यह औरत का पिछड़ना एक परिवार का पीछे रह जाना है।

कुरान और सही हदीस को देखे तो मालूम होगा कि इस्लाम ने सामाजिक आर्थि, नागरिक कानूनी एवं पारिवारिक मामलों मों जितने अधिकार महिलाओं को दिये है, लिखित रूप से किसी भी धर्म में नहीं दिये गये है। इन सब के बावजूद आज मुस्लिम महिलाओं को पिछड़ापन, अशिक्षा, बंदिश और पारिवारिक प्रताड़ना जैसे

चौतरफा दबाव झेलने पड़ते है इस्लाम ने औरतों को आवश्यकता पड़ने पर घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर रोजगार करने में कोई मनाही नहीं है, पर इसके लिए कुछ शरई (इस्लामी) कानून बनाए गये है जिनका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है शरीयत के हिसाब से वे पर्दे का लिहाज करें अपने शरीर को अच्छी तरह से ढकें। परन्तु मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमा ने इस्लाम को जटिल स्वरूप दे दिया उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे पुरूषों की बराबरी नीं कर सकती और उनके सहारे के बिना वे बेबस और लाचार है। इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म में लिखित रूप से औरतों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया गया है और नहीं तलाक शुदा एवं विधवा को दोबारा विवाह करने का अधिकार दिया गया है। ये सारी आजादी एवं अधिकार इस्लाम ने औरतों के हित साधन में दिये हैं। इस्लाम को लकर यह गलतफहमी है कि इस्लाम में औरत को कमतर समझा जाता है जबकि इस्लाम ने महिला को चौदह सौ साल पहले वह मुकाम दिया है जो आज दुनिया के कानून दा भी उसे नहीं दे पाए है। भारत के मुस्लिम समाज के बारे में कई अवधारणाएं प्रचलित है लेकिन इनमें सबसे प्रचलित धारणा तीन तलाक से सम्बन्धित है। माना जाता है कि मुसलमान मर्द अपनी पत्नी को यदि तलाक–तलाक कह दे तो वह पत्नी नहीं रहती क्योंकि मर्द यह सोचता है कि तीन तलाक उसका इस्लामी अधिकार है पवित्र कुरान में कहा गया है कि जहॉ तक सम्भव हो तलाक न दिया जाए और यदि तलनाक देना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम यह प्रक्रिया न्यायिक हो। तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय में यह मान्यता है कि शौहर यदि एक साथ तीन बार तलाक बोल देता है, तो सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है पर यह बिल्कुल गलत है। इसके लिए यह शरई कानून है कि एक ही वाक्य में तीन तलाक का देना हराम है, तलाक देने से पहले या मृत्यु से पहले शौहर को पूरी रकम (चाहे गहनों या प्रॉपर्टी के रूपमें हो) बीवी को भुगतान करना आवश्यक है। परन्तु अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तलाक ए बिद्दत को खत्म कर दिया है, यानी कोई भी मुस्लिम शख्स एक साथ तीन बार तलाक बोलकर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे पाएगा फैसले में तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है, वहीं चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने सांवैधानिक बताया है।

अध्ययन का उद्देश्य

स्त्रियों की सामाजिक भूमिका विगत वर्षों में विवाद का एक रोचक विषय रहा है। आज के विशिष्ट परिवर्तनों ने यह स्पष्ट कर दिया है। कि महिलाएं केवल गृहस्थी तक सीमित परम्परागत कार्यों को ही करने की योग्यता नहीं रखती बल्कि वे अन्य प्रकार की भूमिकाओं को भी कुशलता–पूर्वक कर सकती है। जो अब तक उनके कार्य–क्षेत्र से बाहर उनकी असमर्थता समझ कर केवल पुरूष के हाथ सौंप दिये गये थे। आज नारी, किसी भी धर्म की हो विशेषकर शिक्षित की प्रतिस्थिति और भूमिका संक्रमण के दौर से गुजर रही है। पुरूषों ने चाहे किसी कारण वश एक महिला को स्वीकार किया हो। परन्तु इससे स्वयं उनके दृष्टिकोंण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ जाता, यही स्थिति तनाव एवं असामंजस्य को उत्पन्न करती है अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आज स्त्रियॉ अपनी योग्यता का लाभ उठाना चाहती हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहती हैं। अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक जीवन में प्रवेश करना चाहती है। साथ ही दूसरी ओर अपनी पारिवारिक भूमिकाओं का भी निर्वाह करना चाहती है। चूंकि वर्तमान समय में सभी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक भूमिका पत्नी, मॉ व गृहणी की तथा दूसरी भूमिका नौकरी की घर और बाहर की दोहरी मांगों व तनावों के कारण उन्हें परस्पर पारिवारिक विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका प्रभाव उनके जीवन से सम्बन्धित दायित्वों और कर्तव्यों पर पड़ रहा है।

श्रीमती नीरा देसाई लिखती है ''अब नारी को न तो मात्र बच्चा जनने की एक मशीन और न घर की एक दासी ही माना जाता है, उसने एक नया दर्जा, एक नई सामाजिक महत्वता प्राप्त कर ली है।''

निष्कर्ष

स्त्री को आधुनिक और पारमपरिक समाजों की पुरूषवादी मानसिकता से लड़ना होगा। उसे पूंजीवादी अर्थ–व्यवस्था की शोषक प्रवृत्तियॉ के खिलाफ भी लड़ना होगा। यदि हम औरत की स्थिति की बात करते है तो हमारी सोच में मुख्यतः मध्यम वर्गीय औरत ही केन्द्र में रहती है क्योंकि चिन्तन का केन्द्र मुख्यतः मध्यम वर्गीय और ही होती है। अतः आवश्यकता है कि समाज में विभिन्न परतों में यू ही जिये जा रही है औरत की स्थिति की भी पड़ताल की जाए निःसन्देह बहुत विकट स्थिति है आम और औरत की पर यह भी सच है आज स्त्री दहलीज लॉघ चुकी है, तमाम तूफान की आशंकाओं के बावजूद आत्म–सम्मान का दिया जलाना सीख रही है स्थितयॉ जटिल अवश्य है, पर लड़ने की गुंजाइश बढ़ी है। और क्या सही है और क्या गलत? इसकी शुरूआत कहॉ से हो? ऐसी व्यर्थ विडम्बनाओं में सिर खपाने से बेहतर है कि हम 'कुरान' और हदीस देखें। उसका अर्थ समझे, अपने समुदाय की आधी आबादी की भावनओं को समझे, उनके अधिकार को समझे फिर फैसला ले। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा कि हम इस्लाम की दुहाई भी दें और उसके उसूलों के खिलाफ औरतों को दोयम–दर्जे का नागरिक बनाकर उनके अधिकारों का हनन भी करें यह भी गलत है जहॉ पुरूष–वर्ग का इस्लामिक कानुन में फायदा है वह उसे माने और जहॉ इस्लामिक कानून औरतों के पक्ष में है, वहॉ भारतीय संविधान को प्राथमिकता दें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मुकर्जी एल0 (प्रॉबलम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया) पृष्ठ–संख्या 259*
2. *अल्टेकर ए0एस0 (एजुकेशन इन एनसिएण्ड इण्डिया) पृष्ठ संख्या–233*
3. *मजूमदार राय चौधरी व दत्ता (एडवान्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृष्ठ संख्या 259*

4. डा0 ए0 एस0 अल्टेकर (पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन) बनारस मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स 1956।
5. कपूर प्रमिला (द स्टडी ऑफ मैरिटल एडजस्टमेण्ट ऑफ एजूकेटिग वर्किंग वीमन इन इण्डिया 1968)
6. हकीम महमूद सय्यद अहमद सहारनपुरी (मुसलमान क्या सोचते हैं पृष्ठ–संख्या 233
7. महरूद्दीन खॉ (भारतीय मुसलमान मिथक और यथार्थ पृष्ठ–संख्या, 104
8. मुहम्मद फारूख खॉ (वेद और कुरान, पृष्ठ संख्या–133
9. w.w.w.mahashakti.org.in
10. सारस्वत ऋतु (सुरक्षित नहीं कामकाजी महिलाएं) हिन्दुस्तान में प्रकाशित दिनॉक 02 नवम्बर 2017–पृष्ठ संख्या 12
11. आहूजा राम (सामाजिक समस्याएं द्वितीय संस्करण महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पृष्ठ–संख्या 238
12. भट्टी जरीना–(स्टेट्स ऑफ मुस्लिम बुमन एण्ड सोशल चेन्ज 1990 न्यू देहली रेडियन्ट पब्लिशर–पृष्ठ संख्या– 153–156
13. शुक्ला राजीव (अल्पसंख्यकवाद के नाम पर आत्म–घात दैनिक जागरण में प्रकाशित दिनॉक 7 मार्च 2002 पृष्ठ संख्या 10
14. विभा देवसरे–लेख (फिर सुबह होगी) अमर उजाला में प्रकाशित दिनॉक 9 मार्च 2003) पृष्ठ संख्या 10
15. अग्रवाल जी0के0 समाजशासत्र संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन(भारतीय समाज में स्त्रियॉ पृष्ठ–संख्या 63–73
16. कुमार राधा–स्त्री संघर्ष का इतिहास(वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2002)
17. लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं भारतीय प्रेस की पूर्व सदस्य है (लेख दहेज की बेदी पर दैनिक जागरण में प्रकाशित दिनॉक 7 जून 2003 पृष्ठ संख्या 12।